

सचिव कार्यालय, जयपुर
फर्द अहकाम

बनाम कल्लाल जयपाल

पापना

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------	----------------------	-------------

9/1/2023

पत्रावली पेश हुई पीएमपी अधिकारी महोदय कमलेश्वर / प्रोटोकॉल इयूटी एवं अन्य अधिकारियों को पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश हो।
 24-1-2023

24/1/2023

पत्रावली प्रस्तुत। वार्ड अधिकारी उपना वार्ड द्वारा अनिच्छित रूप से साबिक कोडेश (B) पालना कही गई है। अतः वार्ड को सख्त हिदायत दी जाती है कि (B) कोडेश पर साबिक कोडेश (B) पालना नहीं करने पर 09RS के तहत कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली दिनांक 7/2/2023 को पेश हो।

सहायक कमिश्नर
 आमेर मु. जयपुर

7/2/2023

पत्रावली प्रस्तुत। वार्ड अधिकारी उपस्थित। वार्ड द्वारा इस प्राण भी प्रतिवागीण की तलबी हेतु शि. एडी नोटिस पेश नहीं किए हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वार्ड वर्ष 2021 से प्रतिवागीण की तलबी हेतु सख्त नोटिस पेश नहीं किए हैं। वार्ड को सख्त हिदायत के साथ 09RS की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु वार्ड ने न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है। अतः

सहायक कमिश्नर
 आमेर मु. जयपुर

न्यायालय (तहसील कलकट) जामे (उ० नं०) ...


फर्द अहकाम

काबूलाल बनाम (अपराधवादी)

नाम न्यायालय

केस संख्या

५१/२०१९

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>बाद ०१२५ के तहत कार्यवाही खारिज किया जाता है। पत्रावली फेल्टर शुभ्र होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p> सहायक कलक्टर आमेर मू. जयपुर</p>

आज्ञा या
वाही